संख्या-48/2020/1294/छप्पन-2020-153/2000

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 19 अगस्त, 2020

विषय: राजकीय Bell 412EP, VT-UPO हेलीकाप्टर के 12 कम्पोनेन्ट्स के 1000 hrs. का Inspection/ Overhaul/Repair कराए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 175/CADUP/ENG(PUR)/UPO-03/2020 दिनांक 27 जुलाई, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके सन्दर्भित पत्र में अवगत कराया गया है कि राजकीय हेलीकाप्टर Bell 412EP, VT-UPO के कुल 12 कम्पोनेन्ट्स का Inspection/Overhaul/Repair सम्बन्धी कार्य हेलीकाप्टर निर्माता M/s. Bell Textron Asia (Pte.) Ltd., Singapore से कराए जाने के निमित्त फर्म को कम्पानेन्ट्स को निर्यात एवं पुनर्आयात करने एवं फर्म के ई-मेल दिनांक 23 जून, 2020 द्वारा प्राप्त बजटरी कोट के आधार पर यू.एस. डालर 33825.00 जो भारतीय मुद्रा में रूपये 78.00 प्रति यू.एस. डालर की विनिमय दर से रू0 26,38,350/- (रूपये छब्बीस लाख अड़तीस हजार तीन सौ पचास मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की जानी है। अत: श्री राज्यपाल राजकीय हेलीकाप्टर Bell 412EP, VT-UPO के कुल 12 कम्पोनेन्ट्स का Inspection/Overhaul/Repair सम्बन्धी कार्य कराए जाने हेतु कुल रू0 26,38,350/- (रूपये छब्बीस लाख अड़तीस हजार तीन सौ पचास मात्र) को व्यय/अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा ।

4- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

6- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

7- निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं हैं तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

8- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

9- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

10- यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन पूँजीगत ''लेखा लेखाशीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7- 828/दस-2020 दिनांक: 19 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

संख्या: 48/2020/1293(1)/छप्पन-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।